

# एसएचजी बैंक लिंकेज

पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



## Q एसएचजी बैंक लिंकेज क्या है?

एसएचजी बैंक लिंकेज एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़ना है। कार्यक्रम का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इससे उन्हें आय-सृजन गतिविधियों, उद्यमिता, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण लेने की अनुमति मिलती है।

## Q एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण के प्रकार

- टर्म लोन
  - सीसीएल ऋण या
  - दोनों, ज़रूरत के आधार पर
- आवश्यकता पड़ने पर, अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, भले ही पिछला ऋण बकाया हो।

## Q सीसीएल अन्य ऋणों से किस प्रकार भिन्न है?

एसएचजी को दी जाने वाली नकद ऋण सीमा व्यक्तिगत देनदारी के बजाय समूह की सामूहिक देनदारी पर आधारित होती है। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समूह सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। सीसीएल, रिवोल्विंग ऋण का एक रूप है। यह एक कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में कार्य करता है जहां एसएचजी को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत सीमा तक धन निकालने की अनुमति होती है, भले ही पिछली खुराक बकाया हो।

[RBI circular on DAY-NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page No 5, item No. 7.3.3.](#)

## Q क्या कोई स्वयं सहायता समूह बैंक की निकटतम शाखा में बैंक बचत खाता खोल सकता है जो सेवा क्षेत्र में नहीं है?

हां, स्वयं सहायता समूह किसी भी बैंक के साथ बचत खाता खोल सकते हैं।

[RBI master circular on Micro Credit No RBI/2010-11/407, RPCD. FID. BC.No.53 /12.01.001/ 2010-11 date 14 Feb., 2011 page 2- 3 item No 4. page 4 para](#)


## Q क्या एसएचजी ऋण खातों पर बैंक द्वारा कोई दंडात्मक ब्याज शुल्क है?

प्रति सदस्य 25000/- रुपये तक के ऋण के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं है क्योंकि स्वयं सहायता समूह को दिए गए ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्ग के ऋण के रूप में माना जाता है।

## Q क्या बैंकों द्वारा एसएचजी को ऋण पासबुक जारी की जा सकती है?

क्षेत्रीय भाषाओं में ऋण पासबुक स्वयं सहायता समूह को जारी की जा सकती है जिसमें संवितरित ऋण के सभी विवरण और स्वीकृत ऋण पर लागू नियम और शर्तें शामिल हो सकती हैं।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24dated April 26, 2023 page 8 item No 7.3.8](#)



# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



## Q क्या बैंक बचत खाता खोलने के लिए स्वयं सहायता समूह का पंजीकृत होना आवश्यक है?

बैंक बचत खाता खोलने के लिए स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है।

[RBI circular on SHG bank Linkage No RBI/2023-24/03 FIDD.CO.FID.BC. No.1/ 12.01. 033 /2023-24 dated April 01, 2023 page 2- 3 item No 4.](#)

## Q बैंक में बचत खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

बैंक में बचत खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- खाता खोलने का फॉर्म
- बैंक में बचत बैंक खाता खोलने के लिए एसएचजी की संकल्प प्रति और खाता खोलने और संचालित करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकार। खाते का संचालन या तो किसी दो पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है या अन्यथा सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है।
- पदाधिकारियों के दो/तीन पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फोटो।
- स्वयं सहायता समूह का मुहर।
- पहचान और पते के प्रमाण के लिए पदाधिकारियों के केवाईसी दस्तावेज।
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/जॉब कार्ड/बैंक को स्वीकार्य कोई अन्य दस्तावेज। यदि बैंक द्वारा पदाधिकारियों का ई-केवाईसी किया जाता है, तो आधार कार्ड के अलावा किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

[Master circular on SHG bank Linkage No RBI/2023-24/03 FIDD.CO.FID.BC. No.1/1 2.01. 033/ 2023-24 dated April 01, 2023 page 2- 3 item No 4.](#)

## Q स्वयं सहायता समूह को बैंक में किस प्रकार का बैंक बचत खाता खोलना चाहिए?

खाता मूल बैंक बचत जमा खाता या सामान्य बैंक बचत खाता हो सकता है। हालांकि, यह बेहतर है कि सामान्य बैंक बचत खाता बाद के चरण में भ्रम से बचने के लिए खोला जाए क्योंकि मूल बचत बैंक जमा खाते में जमा, निकासी और शेष राशि सीमा पर कुछ प्रतिबंध हैं।

## Q क्या बैंक में स्वयं सहायता समूह का बैंक बचत खाता खोलने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता है?

स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता खोलने के लिए पैन नंबर आवश्यक नहीं है, इसके बजाय फॉर्म 60 प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 6 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का ब्यौरा फॉर्म 60 के कॉलम 18 में प्रस्तुत करना होगा। [RBI circular on DAY-NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26, 2023 page No 3 item No. 7.1.2](#) यह भी पुष्टि करता है कि खाता खोलने या लेनदेन के समय एसएचजी के पैन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। बैंक फॉर्म संख्या 60 में घोषणा स्वीकार कर सकते हैं जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



**Q** क्या स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलने के लिए सभी सदस्यों के केवाईसी की आवश्यकता होती है?

नहीं। स्वयं सहायता समूह का बैंक बचत खाता खोलते समय स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त होगा।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24dated April 26 2023, page no 3, item no. 7.1.4](#)

**Q** क्या स्वयं सहायता समूह का बैंक बचत खाता खोलते समय बैंक शाखा में सभी एसएचजी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है?

नहीं, स्वयं सहायता समूह का खाता खोलते समय सभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। समाधान की प्रति के साथ केवाईसी आवश्यकता के लिए केवल पदाधिकारियों की उपस्थिति पर्याप्त है।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24dated April 26, 2023 page No 3 item No. 7.1.4.](#)

**Q** बैंक में बचत खाता कब खोला जाना चाहिए?

स्वयं सहायता समूह के गठन के दो महीने के भीतर एसएचजी का बचत खाता बैंक में खोला जाना चाहिए।

**Q** स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए किस तारीख पर विचार किया जाना चाहिए?

स्वयं सहायता समूह के गठन पर संकल्प की तारीख को सभी उद्देश्यों के लिए पहली तारीख के रूप में माना जाना चाहिए (जैसा कि कार्यवृत्त रजिस्टर में उल्लेख किया गया है)


**Q** क्या स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोलने के लिए सरकार/ग्राम पंचायत से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है?

नहीं, स्वयं सहायता समूह का बचत बैंक खाता खोलने के लिए ग्राम पंचायत/बीडीओ/किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

**Q** क्या कोई बैंक एसएचजी को प्रथम वर्ष/पहली खुराक में 1.5 लाख रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत कर सकता है?

पहले वर्ष के लिए कैश क्रेडिट सीमा मौजूदा कोष का 6 गुना होती है या न्यूनतम रु. 1.5 लाख, जो भी अधिक हो, और टर्म लोन के मामले में पहली खुराक मौजूदा कोष का 6 गुना होती है या न्यूनतम रु. 1.5 लाख, जो भी अधिक हो। इस प्रकार, पहले वर्ष या पहली खुराक के लिए ऋण राशि रुपये से अधिक हो सकती है, जो कि Rs. 1.5 लाख से अधिक हो सकती है।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24dated April 26, 2023 page 5 item No 7.3.3.](#)



# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



**Q** बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कोई देय/अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है?

स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण के लिए नो ड्यूज/नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**Q** बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?


- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: –
- एसएचजी को एसएचजी की बही खातों के अनुसार कम से कम पिछले 6 महीनों से सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए, न कि एसबी खाता खोलने की तारीख से।
- एसएचजी को पंचसूत्र का अभ्यास करना चाहिए अर्थात नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और खातों की अद्यतित पुस्तकें।
- नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार योग्य

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09 .01.003/ 2023-24 dated April 26, 2023 page No 4 item No. 7.3.](#)

**Q** बैंक से ऋण प्राप्त करते समय स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के केवाईसी की आवश्यकता होती है?

स्वयं सहायता समूह में सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन एसएचजी की क्रेडिट लिंकिंग के समय बैंकों द्वारा किया जा सकता है।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09 .01.003/ 2023-24 dated April 26, 2023 page No 3 item No. 7.1.1.](#)



# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



**Q** क्या क्रेडिट लिंकेज के समय स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के खाते खोलना आवश्यक है?

स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज के लिए स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों का बचत खाता खोलना अनिवार्य नहीं है।

[RBI master circular on DAY NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26, 2023 page No 4 item No. 7.1.1.](#)

**Q** क्या मौजूदा निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह भी बैंक ऋण के लिए पात्र हैं?

मौजूदा निष्क्रिय एसएचजी भी क्रेडिट के लिए पात्र हैं यदि वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए सक्रिय रहते हैं।

[RBI master circular on DAY NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page No 5, item No. 7.3.1.4.](#)

**Q** बैंक ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन और संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है?

स्वयं सहायता समूह को 10.00 लाख रुपये की सीमा तक कोई मार्जिन या कोलैटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं है।

[RBI circular on DAY \\_ NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26, 2023 page No 7 item No. 7.3.6](#)

**Q** क्या बैंक एसएचजी को ऋण देते समय स्वयं सहायता समूह के ग्रहणाधिकार को चिह्नित कर सकता है या उसके बचत बैंक खाते को ब्लॉक कर सकता है?

बैंक स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाते पर ग्रहणाधिकार अंकित नहीं कर सकता है और ऋण स्वीकृत करते समय किसी जमा राशि पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

[RBI circular on DAY NRLM No RBI/ 2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26, 2023 page No 7 item No. 7.3.6.](#)

**Q** क्या शाखा स्वयं सहायता समूह की डेबिट राशि (या तो ऋण या बचत से) काट सकती है यदि सदस्यों के पति या पत्नी पहले की योजनाओं के डिफाल्टर हैं?

शाखा स्वयं सहायता समूहों के खाते से बचत या ऋण डेबिट नहीं कर सकती है यदि किसी सदस्य का पति या पत्नी पहले की योजनाओं का डिफाल्टर है।

**Q** स्वयं सहायता समूह ऋण के लिए बैंकों के प्रसंस्करण शुल्क और सेवा शुल्क क्या हैं?

ऋण के लिए प्रति सदस्य 25,000 रुपये तक के ऋण के लिए कोई ऋण संबंधी शुल्क/तदर्थ सेवा शुल्क/निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

[Master circular on SHG bank Linkage No SHG.RBI/2023-24/03 FIDD.CO.FID.BC. No.1/12.01.033/2023-24 dated April 01, 2023 page 4 item No 7.](#)

**Q** क्या एसएचजी केवल एक प्रकार का ऋण जुटाने में सक्षम होगा अर्थात या तो टर्म लोन ऋण या सीसीएल?

स्वयं सहायता समूह अपनी आवश्यकता के अनुसार टर्म लोन या सीसीएल या दोनों का लाभ उठा सकते हैं। जरूरत के मामले में, अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, भले ही पिछला ऋण बकाया हो।

[RBI master circular on DAY NRLM NoRBI/2023-24/20FIDD.GSSD.CO.BC.No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page 5, item No 7.3.3.](#)

# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



## Q स्वयं सहायता समूह के कार्पस में क्या क्या शामिल होता है?

जैसा कि स्वयं सहायता समूहों की पुस्तकों में दिखाया गया है, स्वयं सहायता समूह के कार्पस में शामिल हैं: -

- सदस्यों की बचत
- एसएचजी द्वारा अपने सदस्यों को उधार देने से ब्याज आय
- परिक्रमी निधि
- अन्य स्रोतों से आय
- दान सहित अन्य स्रोतों से धन

[RBI circular on DAY NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page No 6, item No. 7.3.3\(Last para\).](#)

## Q क्या पहले ऋण डिफाल्टर स्वयं सहायता समूहों के सदस्य हो सकते हैं?

जिन सदस्यों ने वित्तीय प्रणाली से पहले ऋण लिया है और अपने बकाया का भुगतान नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्वयं सहायता समूहों के सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह बैंक वित्त से कोई ऋण प्रदान नहीं करने का निर्णय स्वयं सहायता समूह ले सकता है।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page 8, item No 7.3.7.](#)



# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



## Q क्या डिफॉल्टर वाले एसएचजी सदस्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं?

समूह के जानबूझकर डिफाल्टर को डेवार्ड-एनआरएलएम योजना के तहत लाभ नहीं मिलना चाहिए और ऐसे डिफाल्टर को छोड़कर समूह को वित्तपोषित किया जा सकता है। बैंक अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ऋण आवश्यकता के आधार पर वित्त पोषण करेगा जो जानबूझकर डिफाल्टर नहीं हैं।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page 8, item No 7.3.7.](#)

## Q क्या बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देने से मना कर सकता है यदि पति या पत्नी या परिवार का कोई अन्य सदस्य बैंक का डिफाल्टर है?

बैंकों को इस आधार पर संपूर्ण स्वयं सहायता समूह को ऋण देने से मना नहीं करना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह के व्यक्तिगत सदस्यों के पति या पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य बैंक के साथ डिफाल्टर हैं। गैर-विलफुल डिफॉल्टरों को ऋण प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

[RBI master circular on DAY\\_NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09.01.003/2023-24 dated April 26 2023, page 8, item No 7.3.7.](#)



# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न



**Q** क्या एसएचजी के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए पूरी बचत बैंक में जमा करना आवश्यक है?

कोई भी बैंक सदस्यों की बचत को बैंक में जमा करने या बचत को कोलैटरल के रूप में लेने पर जोर नहीं दे सकता है।

**Q** क्या एसएचजी के लिए केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है?


ऋण का उपयोग सदस्यों द्वारा सामाजिक जरूरतों को पूरा करने, उच्च लागत वाले ऋण की अदला-बदली, घर के निर्माण या मरम्मत, शौचालयों के निर्माण और एसएचजी के भीतर व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा स्थायी आजीविका गतिविधियों को शुरू करने या एसएचजी द्वारा शुरू की गई किसी भी व्यवहार्य सामान्य गतिविधि के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों की आजीविका बढ़ाने के लिए ऋण के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण का कम से कम 50% और 4 लाख रुपये से अधिक के ऋण का 75% मुख्य रूप से आय पैदा करने वाले उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। एसएचजी द्वारा तैयार एमसीपी ऋण के उद्देश्य और उपयोग को निर्धारित करने का आधार बनेगा।

[RBI master circular on DAY NRLM No RBI/2023-24/20 FIDD.GSSD.CO.BC. No.07/09 .01.0 03/ 2023-24 dated April 26, 2023 page 6 item No 7.3.5](#)

**Q** एसएचजी को ऋण के लिए बैंकों द्वारा ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी की राशि क्या है?

स्टाम्प ड्यूटी राज्य के अधिकार क्षेत्र में है और एसएलबीसी की मदद से राज्य द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अधिकांश राज्यों में, एसएचजी के लिए ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है। राज्य स्टाम्प ड्यूटी में छूट/विनियमन के लिए मामले को उचित स्तर पर ले जा सकते हैं।





DAY-NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) पहल के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) और उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी (UPASaC) उत्तराखण्ड में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को बैंक लिंकेज के माध्यम से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। USRLM और UPASaC का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़कर एक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे गरीबी को कम करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। यह पहल सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। एसएचजी-बैंक लिंकेज को सुदृढ़ करके, एनआरएलएम ग्रामीण परिवारों के उत्थान, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत की समग्र प्रगति में योगदान करने का प्रयास कर माननीय प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देने में सहयोग करता है।



उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन